



वैज्ञानिकों को जाएंट रिवर डॉल्फिन की खोपड़ी का एक जीवाशम मिला है। समझा जाता है कि डॉल्फिन की यह प्रजाति पहले समुद्र में रहती थी और 16 मिलियन वर्ष पूर्व पेरु की एमेज़ॉन नदी में रहने लगी थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि, विलूप्त प्रजाति की ये डॉल्फिन साढ़े तीन मीटर लम्बी रही होंगी, जिसे विश्व की सबसे लम्बी रिवर डॉल्फिन कहा जा सकता है। इस नई प्रजाति, पेनानिस्टा याकूरुना की खोज ने विश्व की बची खुदी रिवर डॉल्फिन्स के खतरे को उजागर कर दिया है। शोध के अनुसार, आगामी 20-40 वर्षों में इन सभी को ऐसे ही खतरे का सामना करना पड़ेगा। साईन्स एडवांसेज़ में छपे इस शोध में मुख्य शोध लेखक आल्डो बेनीते पालमीनो ने कहा कि, यह नई प्रजाति डॉल्फिन की प्लाटानिस्टोइडिआ फैमिली से संबंधित है, जो 24 मिलियन और 16 मिलियन वर्ष पूर्व महासागरों में मिलती थीं। इस समय जो रिवर डॉल्फिन्स हैं, वे इन्हीं समुद्री डॉल्फिन्स की वंशज मानी जाती हैं। माना जाता है कि, इन्होंने नए भोजन स्रोत की तलाश में समुद्र को छोड़कर मीठे पानी वाली नदियों को अपना आवास बनाया था। वैज्ञानिक बेनीते पालमीनो ने वर्ष 2018 में पेरु में इस जीवाशम की खोज की थी, तब वे स्नातक छात्र थे और अब युनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख में रिसर्च कर रहे हैं। उस समय अपने साथी के साथ घूमते समय उन्हें सबसे पहले जबड़े का एक टुकड़ा मिला था। वे पहचान गए कि यह जीवाशम डॉल्फिन का था, लेकिन यह एमेज़ॉन में मिलने वाली पिंक रिवर डॉल्फिन का नहीं था। क्योंकि यह किसी बड़े आकार की डॉल्फिन का लग रहा था, जिसके सबसे करीबी रिश्तेदार इस समय दस हजार कि. मी. दूर साउथ ईस्ट एशिया में रहते हैं। ज्यूरिख युनिवर्सिटी के जीवाशम विभाग के निदेशक मारसैलो आर. सैन्चेज़ विसाप्रा ने कहा कि, यह खोज बहुत रोचक है। इस तरह की डॉल्फिन की खोज पहली बार हुई है। बेनीते ने कहा कि, डॉल्फिन का यह जीवाशम अपने आकार की वजह से महत्वपूर्ण तो है ही साथ ही इस वजह से भी खास है क्योंकि, इसका इस समय एमेज़ॉन नदी में मिलने वाली डॉल्फिन्स से कोई सम्बंध नहीं है। जीवाशम के वर्तमान जीवित रिश्तेदार, जो गंगा और सिंधु नदी में पाए जाते हैं, सहित सभी रिवर डॉल्फिन विलूप्ति के खतरे से जूँझ रही हैं।

हेमंत सोरेन के समर्थक अति उत्साहित हैं,
केजरीवाल की रिहाई ने राह दिखा दी है,
झारखण्ड के मु.मंत्री की भी रिहाई की

हमें सारेन को पत्ती कल्पना, जो पाटी को नेता भी हो गयी है, ने कहा, “हमे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है, हमें शीघ्र ही शुभ समाचार मिलेगा कोर्ट से”

-श्रानंद झारा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली व्यूरो-

नई दिल्ली, 10 मई। “इण्डिया टॉक” और “आप” पार्टी के नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतरिम मानन दिए जाने पर उत्साहित हैं क्योंकि ह अब विपक्ष के चल रहे चुनाव प्रचार। नया जोश भर देगा, लेकिन इस टानक्रम ने झारखण्ड में झारखण्ड मुक्तिमार्चा (जे.एम.एम.) के सदस्यों में बड़ी आशाएं जगा दी हैं। शीर्ष न्यायालय ने जरीवाल को सर्वांग जमानत देने के बाद एम.एम. के नेता खुश हैं क्योंकि इस गद्देसे एक नजीर बन गई है जिसके बाधर पर हेमंत सोरेन के जेल से छठने प्रयास किए जा सकते हैं। हेमंत सोरेन

- कल्पना सोरेन ने इन तर्कों को खारिज कर दिया कि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से गलत परम्परा पड़ी है कि, राजनीतिज्ञ (नेता लोग) एक अलग व सोशल क्लास हैं।
- कल्पना सोरेन के अनुसार, चुनाव प्रचार में भाग लेना और अपनी पार्टी के लिये प्रचार करके वोट मांगना संवेदनिक अधिकार है तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से सभी चुनाव लड़ने वालों के लिये, “लैवल प्लेइंग फील्ड”

गठबधन का उमाद बधा हा हमका
खुशी है कि केजरीवाल बाहर आ गये हैं
और हेमंत सोरेन के लिए भी हम यही
आशा करते हैं।

कल्पना ने इन दलीलों को नकार
दिया कि उच्चतम न्यायालय ने
राजनीतिज्ञों को आम आदमी से अलग
मानते हुए एक गलत उदाहरण पेश किया
है और कहा कि आदेश संविधानिक
प्रावधानों के अनुसार था। जे.एम.एम.
नेता कल्पना ने आगे कहा, “आम चुनाव
पांच साल में एक बार ही आते हैं।
राजनीतिज्ञ होने के नाते प्रचार करना,
जनादेश मांगना और चुनाव लड़ा हमारा
हक है। आज के समय में, सभी को
अवसर मिलने चाहिए ताकि संविधान को
(शेष अंतिम पाँच पर)

संबंध में कांग्रेस
अध्यक्ष द्वारा लिखी
गई चिट्ठी का जवाब
देते हुए कहा।

एक वक्तव्य दिया जो सार्वजनिक
थ्यों के परिप्रेक्ष्य में असत्य है।

खड़गे ने छह तारीख को आयोग को
उपर्युक्त पत्र में छह सवाल उठाए थे और
स पत्र को सोशल मीडिया प्लेटफार्म
क्स पर डाल दिया था। आयोग ने कहा
कि, पत्र में लिखा है कि “इतिहास में
हली बार मतदान के अंतिम प्रतिशत
आंकड़े जारी करने में देरी की गयी है और
समें मीडिया की विभिन्न खबरों के
(शेष अंतिम पष्ठ पर)

जयपुर, 10 मई (कासं.)। अस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के मार्च 2024 के उस आदेश को रद्द किया है जिसके तहत शाराब के ठेकों लाइसेंस धारकों को 30 जून 2024 तक शाराब की दुकानें संचालन करने के देश दिये गये। गौरतलब है कि प्रदेश की 7000 लाइसेंस देने के लिए

- राज्य सरकार ने नई लिंकर पॉलिसी के तहत जनवरी-फरवरी में 7000 शाराब ठेकों के लाइसेंस के लिये निविदा आमंत्रित की थी लेकिन करीब 4000 पुराने लाईसेंस धारकों ने इसमें भाग नहीं लिया। उनका कहना है कि, उन्हें नई नीति से तय दर पर राजस्व देने में घाटा हो रहा है।

- इन 4000 लाइसेंस धारकों में से करीब 500 ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। उनका कहना था कि, राज्य सरकार उनके लाइसेंस की नीलामी में भाग लिया था। परंतु राज्य सरकार ने भी भाग ना लेने वाले पुराने लाइसेंसधारकों की लाइसेंस अवधि का एकत्रफा कार्रवाई करते हुए तीन और बढ़ाविद्या था, जिसके खिलाफ शर्मा शर्मा व 275 अन्य चिकाकर्ताओं ने जयपुर स्थित कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और करीब 200 अन्य लाइसेंस धारकों जोधपुर में याचिका दायर की थी। जयपुर में सुनवाई के बाद जस्टिस न्द्र कुमार गोयल की एकलपीठ के आदेश से इन करीब 500 लाइसेंसधारकों को गहत मिली है। इस
- हालांकि, अदालत को यह नहीं बताया गया है कि, लाइसेंस धारकों को नई पॉलिसी के तहत घाटा क्यों हो रहा है, जबकि नई पॉलिसी और पुरानी पॉलिसी में कोई खास परिवर्तन नहीं है।

ले
पर

‘चुनाव प्रचार में भाग लेना न तो “फंडमैटल राईट” है, न ही संवैधानिक अधिकार और न ही कानूनी अधिकार’

ई.डी. के वकील व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की यह दलील संघीय कोर्ट ने स्वीकार नहीं की

- कांग्रेस ने अपने पूर्व सांसद मणिशंकर अच्यर के इधिकृत रूप से स्वयं को अलग करना चाहता है, परंतु भाजपा के केंद्रीय मंत्री

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 10 मई। सुप्रीम कोर्ट
ने देश के लोकतात्त्विक मूल्यों पर दृढ़
रहते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द
केजरीवाल को आज 1 जून तक के लिए
अंतरिम जमानत पर रिहाई कर दिया। उन्हें
अंतरिम जमानत देने से पूर्व एन्कोसर्मैट
डायरेक्टोरेट (ई.डी.) ने भारी
आपत्तियाँ जतायीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट
ने उनकी जमानत मंजूर करते हुए उन्हें
वर्तमान लोकसभा चुनाव में प्रचार करने
की अनुमति प्रदान की। केजरीवाल
दिल्ली के आबाकारी घोटाले से संबंधित
एक मनी लॉण्डिंग केस को लेकर
गिरफ्तार किए गए थे।

ई.डी. के वकील व एडिशनल दलील सुप्रीम कोर्ट

सॉलिसिटर जन
ने स्वीकार नहीं क
मु.मंत्री को 21 दिन की अंतरिम
आदेश देते हुए यह भी कहा
र सम्मन मिलने के बाद भी,
परिस्थित नहीं हुए तथा उनके
माला चल रहा है, पर, उन्हें अभी
गाहा है, और वो आदतन अपराधी
— — — — —

केस के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं” तो जस्टिस खना ने कहा कि “संजय ही के प्रकरण की भाँति उतने ही बूबूत बयान से आप उन्हें जवाब देन्हते हैं।

गत 21 मार्च को गिरफ्तार किए जेंरीवाल वर्तमान में दिल्ली की डाढ़ जेल में हैं। उन्होंने दिल्ली हाई द्वारा गत 9 अप्रैल को दिए गए आर्य को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

सीनियर नेता संजय सिंह को भी आबकारी नीति घोटाला से संबंधित केस में 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने गत 2 अप्रैल को उनकी जमानत मंजूर कर ली थी।

संजय सिंह के केस में ई.डी. ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उन्हें जमानत पर रिहा करने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, ई.डी. ने यह भी स्पष्ट किया था कि सिंह को दी गई न्यायिक छूट को एक नज़ीर ना माना जाए।

“आप” के दो अन्य सीनियर नेता दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन, मनीष लॉप्पिंग्स के दो के लिए अनुमति प्रदान की गई है।

ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਤਿਸ਼ਟਾ

